छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा नवम् सत्र अंक-10

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2012

(चैत्र-2, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 एवं 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 11 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर अनुपस्थित रहीं।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल के स्थान पर डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. वक्तव्य

सर्व आदिवासी समाज के गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा किए जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने दिनांक 19.3.2012 को सर्व आदिवासी समाज के गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा किए जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

3. पृच्छा

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि संबंधित स्थगन उनके द्वारा अग्राह्य कर दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.18 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होना शेष है, उसमें अपनी बात कही जा सकती है। अनुदान मांगों पर चर्चा के समय स्थगन प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सामान्यतः महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा जारी हो तो उस समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है। अभी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु भी नहीं है और स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने सभी को अपनी बातें रखने का अवसर दिया। जब बजट पर चर्चा जारी हो तो सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया।

निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.33 बजे स्थगित की जाकर 12.40 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य ने गरियाबंद स्थित अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने महासमुंद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कनेकेरा में एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को नहर से सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने मिनीमाता परियोजना के तहत नहर का निर्माण किये जाने,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम के विकासखंड पंडरिया में संचालित सेवा सहकारी समिति में अधिकारियों द्वारा मनमानी की जाने, एवं

(4) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने नगर निगम भिलाई क्षेत्र में पेयजल की समस्या व्याप्त होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 06)	श्री संतोष बाफना	2 घंटा 30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

लोक निर्माण विभाग की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में श्री सेवकराम नेताम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री शिवराज सिंह उसारे, श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, श्री लखमा कवासी, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री सौरभ सिंह, अग्नि चंद्राकर, (लेखराम साहू-अनुपस्थित), भीमा मंडावी,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री दीपक कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, श्रम से संबंधित मांग संख्या 18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, दूजराम बौद्ध, श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-14 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्रीमती अंबिका मरकाम, डॉ.शक्राजीत नायक, महंत श्री रामसुंदर दास **मांग संख्या-16 पर** महंत श्री रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक, **मांग संख्या-54 पर** महंत श्री रामसुंदर दास **मांग संख्या-18 पर** महंत श्री रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 4 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री फूलचंद सिंह, धर्मजीत सिंह, विरेन्द्र कुमार साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री ब्रह्मानंद, (महंत रामसुंदर दास-अनुपस्थित), श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री बैदूराम कश्यप, (शिवराज सिंह उसारे-अनुपस्थित), ह्दयराम राठिया, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री खेदूराम साहू, दूजराम बौद्ध, नंदकुमार साहू।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री (जारी)

रात्रि 8.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 23 मार्च, 2012 (चैत्र 3, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा